न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./71/19/नागौर (2019/00071)

विभागीय अपील द्वारा श्री शंकर सिंह राठौड़ तहसीलदार, मूण्डवा जिला नागौर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर नागौर दिनांक 22–12–2017 जिसके द्वारा अपचारी अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (without comulative effect)से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री शंकर सिंह राठौड़ तहसीलदार, मूण्डवा जिला नागौर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर नागौर

निर्णय

दिनांकः– 13.01.2020

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 22–12–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 02–08–2016 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 17 सीसीए मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

यह है कि उक्त श्री शंकर सिंह राठौड़ दिनांक 10–4–2014 से दिनांक 04–03–2016 तक तहसीलदार, मूण्डवा के पद पर पदस्थापित रहे है। उक्त अवधि एवं पद पर रहने के दौरान दिनांक 06–07–2015 को ग्रामवासी दियावड़ी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर ग्राम दियावड़ी के खसरा नम्बर 16, 68/556, 292 गैर मुमकिन गोचर तथा खसरा नम्बर 16/548, 24, 26, 43, 68/557, 375, 540 गैर मुमकिन अंगोर तथा खसरा नम्बर 12, 40, 59, 261, 273, 285, 307, 316, 332, 374, 398, 455, 470, 523, 541, गैर मुमकिन नाडी पर से अतिक्रमण हटाने की शिकायत प्रस्तुत की जाने पर उक्त शिकायत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर क्रमांक 0715288483479 पर ऑनलाईन दर्ज की जाकर आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार, मूण्डवा को अग्रेषित की गई। उक्त शिकायत पर आप द्वारा दिनांक 18–11–2015 को ऑनलाईन रिपोर्ट दर्ज की गई कि अतिक्रमणकर्ता

को भौतिक रूप से बेदखल कर दिये गये है। प्रकरण में दिनांक 18–7–2016 को ग्रामवासीगण पुनः अतिक्रमण नहीं हटाये जाने की शिकायत प्रस्तुत करने पर प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) कलेक्ट्रेट, नागौर को मौके पर भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाने पर तहसीलदार (भू.अ.) कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक 19–7–2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर आप द्वारा पूर्व में अतिक्रमणकर्ता को भौतिक रूप से बेदखल करने की प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18–11–2015 को सही प्रतीत नहीं होना बताया गया है। इस प्रकार आप द्वारा प्रकरण में गलत व असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आपका उक्त कृत्य उच्चाधिकारियों के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करने के साथ साथ अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता को द्योतक है। जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 03–10–2016 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 29.11.2016, 10.1.2017 दिया गया उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उनके द्वारा लिखित अभिकथनों को दोहराया गया। तत्पश्चात जिला कलक्टर, नागौर द्वारा अपचारी अधिकारी श्री शंकर सिंह राठौड़, तहसीलदार मूण्डवा पर आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अपचारी अधिकारी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (without comulative effect) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर नागौर के उक्त दण्डदेश क्रमांक प.1(सी)(25)संस्था/वि.जा./2016/5069 दिनांक 22–12–2017 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर नागौर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या एक के संबंध में कथन किया कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर एक प्रकरण दर्ज हुआ कि ग्राम दियावड़ी के खसरा नम्बर 16, 68/556, 292 गैर मुमकिन गोचर तथा खसरा नम्बर 16/548, 24, 26, 43, 68/557, 375, 540 गैर मुमकिन अंगोर तथा खसरा नम्बर 12, 40, 59, 261, 273, 285, 307, 316, 332, 374, 398, 455, 470, 523, 541, गैर मुमकिन नाडी पर ग्रामवासियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया है जिससे ग्रामवासियों को काफी परेशानी हो रही है। उक्त प्रकरण दर्ज होने पर अवपीलार्थी द्वारा पटवारी हलका सेनणी व भू.अ.निरीक्षक रूण को मौके पर भेजकर

वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार उक्त खसरा नम्बर में अधिकतर में अस्थाई प्रकृति जैसे बाड़, छप्पर, खुले पत्थर डालकर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण पाया गया जिसके लिए अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलार्थी अधिकारी द्वारा न्यायालय तहसीलदार, मूण्डवा में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये गये। उक्त प्रकरणों की संक्षिप्त जांच कार्यवाही के पश्चात नियत समयावधि में निर्णय कर सभी अतिक्रमियों को शास्ति व बेदखली के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में पटवारी हलका सेनणी व भू.अ.निरीक्षक रूण द्वारा मौके पर जाकर सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत में प्रश्नगत खसरा नम्बरान की भूमि पर किये गये अस्थाई प्रकृति के अतिक्रमण को हटा दिये गये लेकिन स्थाई प्रकृति के अतिक्रमणों को संसाधन के अभाव एवं कानूनी स्थिति को मध्यनजर रखते हुए नहीं हटा पाये। इसी आश्य की प्रकरणवार फर्द बेदखली रिपोर्ट तहसील कार्यालय मूण्डवा में प्रस्तुत कर दी गई। उक्त प्रकरण राजस्थान सम्पर्क पोर्टल व जिला सतर्कता समिति दोनों स्तर पर दर्ज था और दोनों ही स्तर पर पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर टिप्पणी व प्रतिवेदन तैयार कर तत्समय प्रेषित कर दिया गया था। अस्थाई प्रकार के अतिक्रमणों को मौके से हटा दिया गया लेकिन स्थाई प्रकृति के अतिक्रमण नहीं हटा सकने के कारण ग्रामवासियों द्वारा पुनः जिला कलक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर ने प्रतिपरीक्षण तहसीलदार, भू.अ. नागौर से करवाया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर पटवारी एवं अपचारी अधिकारीके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

बहस के दौरान उन्होंने यह भी कथन किया कि पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक ने जो फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश की गई थी उन फर्द बेदखली रिपोर्ट को अधिनस्थ लिपिक द्वारा सही ढंग से न पढ़ने व न समझने के कारण आक्षेपित प्रतिउत्तर बना दिया एवं इस आश्य की फीडिंग भी कम्पयूटर पर ऑनलाईन कर दी गई थी। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास कार्य की अधिकता के कारण रूटीन में प्रतिउत्तर पर हस्ताक्षर हो गये जो केवल एक मानवीय भूल थी। मानवीय भूल के कारण किसी अधिकारी का कृत्य दुराचरण की परिधि में नहीं आता है। परिणामतः ऐसी गलती के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ से ही निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ सिविल याचिका संख्या 2398/90 उनवान पंकल मनु बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 3 अप्रेल, 1992 प्रासंगिक है। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी अधिकारी के विरूद्ध प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही निरस्त योग्य है। अपचारी अधिकारी की उक्त प्रकरण में कोई दुर्भावना नहीं रही है तथा इसके पीछे किसी भी व्यक्ति को कोई अनुचित लाभ पहुंचाना भी नहीं रहा है। जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपीलार्थी द्वारा किये गये कथनों पर गौर किये बिना ही दण्डादेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

बहस के दौरान अपीलार्थी अधिकारी ने यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा इसी समान प्रकरण में प्रेमराज कनिष्ठ लिपिक को दोषमुक्त कर दिया गया । जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया कि श्री रामकिशोर मुडेल जो तहसील मूण्डवा में प्रतिनियुक्ति पर था, के द्वारा ऑनलाईन फिडिंग कार्य किया गया जबकि श्री रामकिशोर मुडेल की प्रतिनियुक्ति तहसील कार्यालय मूण्डवा में नहीं थी। श्री प्रेमराज कनिष्ठ लिपिक द्वारा ही पोर्टल का कार्य किया जा रहा था एवं प्रेमराज ही राजस्व लिपिक था। रामकिशोर मूण्डवा का निवासी था जिसको न तो तहसील मूण्डवा में पदस्थापन था और न ही राजस्व विभाग में कार्यरत था। इस प्रकार श्री रामकिशोर का झूठा नाम लेकर प्रेमराज द्वारा जिला कलक्टर नागौर से अपने आपको दोषमुक्त करवा लिया और झूठे आरोप अपीलार्थी पर लगा दिये गये जो उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 22–12–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर नागौर से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 3036 दिनांक 25–03–2019 से अवगत कराया है कि जिला कलक्टर, नागौर द्वारा श्री शंकर सिंह राठौड़ अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत की गई है।

अपीलार्थी का यह कथन आंशिक स्वीकार है कि अपचारी अधिकारी द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही अवश्य की गई है किन्तु अतिक्रमण हटाने के संबंध में जिला कार्यालय को गलत एवं भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। मौके पर से सम्पूर्ण अतिक्रमण हटाये बिना ही अतिक्रमण हटा देने की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करना दुराचरण की श्रेणी में आता है।

अपचारी अधिकारीका यह कथन भी आंशिक स्वीकार है कि अपचारी अधिकारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत फर्द बेदखली को ढंग से न पढ़ पाने के कारण भूलवश अपूर्ण रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी। अपचारी अधिकारी द्वारा पूर्ण तथ्यों को बिना बढ़े ही रिपोर्ट भिजवाया जाना मानवीन भूल की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त अतिक्रमा को लेकर जिला सर्तकता समिति में भी प्रकरण दर्ज था जिसमें अपचारी अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट की गई है। जिला सतर्कता समिति एवं सम्पर्क पोर्टल दोनों पर ही गलत रिपोर्ट दी जाकर गलत रिपोर्ट के कृत्य को दोहराया गया है जो मानवीय भूल की श्रेणी में नहीं आता है।

जिला कलक्टर, नागौर ने टिप्पणी में यह भी अंकित किया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा अपने लिखित अभिकथन एवं व्रूक्तिगत सुनवाई के दौरान यह व्यक्त किया गया कि बेदखली आदेशों की पालना में अस्थायी एवं कच्चे तामीरात प्रकृति के कब्जों को तो हटा दिया गया था लेकिन अतिक्रमियों द्वारा मौके पर किये गये पक्के निर्माण को संसाधन के अभाव में नहीं हटा सकने के कारण हटाया नहीं गया था। तहसील कार्यालय में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल से संबंधित कार्य देखने वाले कार्मिक द्वारा की गई फिडिंग फर्द बेदखली के अनुसार नहीं करने में कार्मिक स्तर पर त्रुटि हुई है। उक्त तथ्य के आधार पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध एवं अपचारी अधिकारी दोनों के विरूद्ध एक साथ कार्यवाही की गई है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट दिनांक 18–11–2015 को ऑनलाईन दर्ज की गई है जबकि इसी भूमि पर अतिक्रमण हटाने संबंधी जिला सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरण में उक्त अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से पत्र क्रमांक पीए/सतर्कता/2015/548 दिनांक 17–11–2015 जिला सतर्कता समिति को भिजवाया गया जिसमें भी अतिक्रमण को हटाकर भौतिक रूप से बेदखल करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट भिजवाने के तथ्य को दोहराते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती गई है। अतः अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से निरस्त की जाकर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 22–12–2017 यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर नागौर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी अधिकारी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी अधिकारी द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपचारी अधिकारी पर यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा उसके द्वारा ग्राम दियावड़ी के खसरा नम्बर 16, 68/556, 292 गैर मुमकिन गोचर तथा खसरा नम्बर 16/548, 24, 26, 43, 68/557, 375, 540 गैर मुमकिन अंगोर तथा खसरा नम्बर 12, 40, 59, 261, 273, 285, 307, 316, 332, 374, 398, 455, 470, 523, 541, गैर मुमकिन नाडी पर से अतिक्रमण को हटाकर भौतिक रूप से बेदखल करने की रिपोर्ट गलत प्रस्तुत की गई है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपचारी अधिकारी द्वारा तत्समय 70 अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किये जाकर अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर बेदखली के आदेश जारी किये गये थे। पटवारी हलका

सेनणी व भू.अ.निरीक्षक रूण द्वारा अस्थाई प्रकृति के अतिक्रमण हटा दिये गये लेकिन स्थाई प्रकृति के दो–तीन पक्के मकान संसाधनों के अभाव में व कानून व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुए नहीं हटा पाये थे।

जिला कलक्टर, नागौर द्वारा तहसीलदार, मूण्डवा को ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पर ही आदेश दिये गये है। भूमि पर अतिक्रमण स्थाई है या अस्थाई है इसकी जांच की जानी आवश्यक थी। अपचारी अधिकारी द्वारा अस्थाई प्रकृति के अतिक्रमण को तत्समय ही हटा दिया गया था। पक्के निर्माण को पुलिस जाब्ते के अभाव में नहीं हटा पाये थे। जिला कलक्टर, नागौर को पक्के अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार को पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जाना चाहिए था बिना पुलिस जाब्ते के तत्समय कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। उक्त समान प्रकरण में जिला कलक्टर, नागौर द्वारा तहसील मूण्डवा में कार्यरत अधिनस्थ कार्मिक श्री प्रेमराज लिपिक ग्रेड द्वितीय को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोष्झमुक्त कर प्रकरण समाप्त कर दिया जबकि तत्समय ऑनलाईन फिडिंग का कार्य उक्त कार्मिक द्वारा ही किया गया था।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि राजस्व अधिकारी विभिन्न कार्यो में व्यस्त रहते है जिनको अपने अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार कर अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। मौके पर राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति में ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर एवं जिला सतर्कता समिति में रिपोर्ट भिजवाने में अपचारी अधिकारी की कोई दुर्भावना नहीं रही है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिये गये जवाब एवं दलीलों से सहमति व्यक्त करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि अपचारी अधिकारी पर लगाये गये आरोप गम्भीर आरोप नहीं है। अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर में अधिकतर में अस्थाई प्रकृति जैसे बाड़, छप्पर, खुले पत्थर डालकर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण पाया गया जिसके लिए अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जिला कलक्टर नागौर

द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 22–12–2017 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 22–12–2017 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। साथ ही अपीलार्थी को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दी जाती है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.04.07 13:19:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: